(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 34/2021-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून, 2021

सा.का.नि.... (अ), - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती हों, को, जब भारत में उनका आयात किया गया हो, उन पर उक्त प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मानक दर से संगणित राशि से अधिक होती हो, यथा-

क्र.सं.	अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद	विवरण	मानक दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	15 11 10 00	कच्चा पॉम आयल	10%
2.	1511 90	सभी वस्तुएं (आरबीडी पॉम आयल, आरबीडी पामोलीन, आरबीडी पॉम स्टेयरिन और ऐसा कोई पॉम आयल जो कच्चे पॉम आयल से भिन्न हो)	37.5%

2. यह अधिसूचना 30 जून, 2021 को लागू होगी और 30 सितम्बर, 2021 तक जिसमें यह तारीख भी शामिल है, लागू होगी ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी-190354/87/2021-टीआरयू अनुभाग-सीबीईसी]

(राजीव रंजन)

अवर सचिव, भारत सरकार